# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर मालवा (मध्यप्रदेश)

## :– निविदा विज्ञप्ति :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आगर मालवा के अंतर्गत प्रतिलिपि अनुभाग, आगर मालवा में प्राईवेट फोटो कॉपी मशीन लगवाई जाना है।

अतः विज्ञप्ति की निविदा शर्तो के अधीन जो संस्था या व्यक्ति इस न्यायिक स्थापना पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रतिलिपि अनुभाग में फोटोकॉपी मशीन स्थापित किए जाने के इच्छुक हो, वे कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आगर मालवा में कार्यदिवस के दौरान उपस्थित होकर निविदाओं की आवश्यक शर्तो की जानकारी प्राप्त कर शर्तो के अनुसार निविदा दिनांक **06.02.2025 को शाम 5:00** बजे तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश आगर मालवा के कार्यालय में जमा कर सकते है। नियत समयावधि के उपरांत प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नही किया जाएगा।

उक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदओं को दिनांक **07.02.2024 को शाम 5:00** बजे निविदाकर्ता/ अधिकृत प्रतिनिधि (यदि उपस्थित हो तो) के समक्ष खोला जाएगा।

निविदा का प्रारूप, नियम व शर्ते माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की वेबसाईट www.mphc.gov.in/tenders एवं districts.ecourts.gov.in/india/mp/agar/tender पर भी देखा जा सकता है।

| कार्यालय/न्यायालय का नाम | प्रतिदिन होने वाली फोटोकॉपी की अनुमानित संख्या |
|---|---|
| प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आगर मालवा | 150 – 250 |

23.1.25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

आगर मालवा (म.प्र.)

# <u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर मालवा (मध्यप्रदेश)</u>

## :– निविदा की शर्तेः–

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पत्र कमांक Reg (IT) (SA)/2024/938 Jabalpur Dated 02-07-2024 में दिए निर्देशानुसार जिला न्यायालय आगर मालवा में प्रतिलिपि कार्य के लिए निविदा की शर्ते निम्नलिखित है –

1. एक बंद लिफाफे में सीलबंद निविदा पूर्ण रूप से भरी हुई राशि रूपये 10000/– की बैंक गारंटी के साथ जो कि एफ.डी.आर. या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हो एवं 6 माह की अवधि के लिए वैध हो, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जिला आगर मालवा के कार्यालय में आवश्यक रूप से दिनांक **<u>06.02.2025 को शाम 5:00</u>** बजे तक जमा हो जानी चाहिये।

अपूर्ण/सशर्त/देरी से प्रस्तुत निविदा अथवा बिना अग्रिम राशि के अथवा बिना किसी कर/लागत के समावेश की निविदाऐं निरस्त कर दी जाएगी।

2. निविदाऐं दिनांक **<u>07.02.2025 को शाम 5:00 बजे</u>** जिला न्यायालय की कय समिति के अध्यक्ष के विश्राम कक्ष में उन सभी उपस्थित व्यक्तियों जिन्होंने निविदाऐं प्रस्तुत की है, यदि उपस्थित हो तो उनके समक्ष खोली जाएगी। निविदा की नियम, शर्तो एवं दरो में कांटछांट, परिवर्तन या सुधार नही होना चाहिए। सभी प्रारूप हस्ताक्षरित होने चाहिए एवं उस पर संस्था की सील होनी चाहिए।

3. जिस निविदाकर्ता की निविदा चुनी जाएगी उसे संस्वीकृति पत्र के प्राप्त होने के 15 दिवस में परफॉरमेंस गारंटी के रूप में पांच प्रतिशत संभावित अनुबंध राशि की बैंक गारंटी एफ.डी.आर./ अकाउंट पेय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रधान जिला एंव सत्र न्यायाधीश के पक्ष में देनी होगी। परफॉरमेंस सुरक्षा निधि अनुबंध के समाप्त होने के दिन से 60 दिनों के लिए वैद्य होगी, जिसमें वारंट/त्रुटि, उत्तरदायित्व, यदि हो, भी शामिल होंगे।

4. संस्था के द्वारा प्रतिलिपि प्रति कॉपी की दर के हिसाब से समस्त करों एवं शासकीय देयकों को सम्मिलित कर प्रदाय की जाएगी। एक पेज के एक तरफ की प्रति/ एक पेज के दोनों तरफ की प्रति दोनों के लिए पृथक से दर आवश्यक रूप से दर्शायी जाएगी।

5. फोटोकॉपी, मशीन जिला न्यायालय परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार स्थापित करनी होगी। कार्यालय समय में फोटोकॉपी मशीन की उपलब्धता को ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा।

6. अनुबंध/ कार्य आदेश की अधिसूचना दिनांक से कम से कम एक वर्ष के लिए वैद्य होगी। सेवा में संतुष्टि के आधार पर अनुबंध का समय प्रतिवर्ष के हिसाब से समान नियम एवं शर्तो पर प्रतिवर्ष अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि के लिए बढाया जा सकता है।

7. अनुबंध की अवधि में दरों में परिवर्धन नहीं किया जा सकेगा एवं नियमानुसार कर (Tax) काटा जाएगा। केवल संवैधानिक देयकों जिन्हें शासन के द्वारा अधिसूचना/ नियमों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, को छोडकर अनुबंध की अवधि की दर की संरचना में कोई परिवर्तन नही किया जाएगा। अतः संस्था जो भी निर्धारित राशि एक वर्ष के लिए प्रभारी रख सकें, वही आवेदन करें।

8. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार मशीनों की संख्या कार्य के अनुसार जरूरत के हिसाब से कम अथवा ज्यादा की जा सकती है, परन्तु ठेकेदार को बिना रूकावट के कार्य को सम्पन्न करना होगा। अतिरिक्त व्यक्ति की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, जिससे कि कार्यालय के कार्य में रूकावट उत्पन्न न हो।

9. ठेकेदार को कोई परिवहन या अन्य व्यय देय नही होगें।

10. ठेकेदार फोटोकॉपी मशीन के रख–रखाव के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। स्टेशनरी जैसे उत्तम गुणवत्ता वाले कागज (75 जी.एस.एम.), टोनर, स्टेपलर, पिन और अन्य लागत ठेकेदार के द्वारा स्वयं वहन की जाएगी। फोटोकॉपी मशीन को चलाने के लिए पर्याप्त व्यक्तियों को रखने की तथा उन पर होने वाले व्यय का उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा।

11. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फोटोकॉपी कार्य , कार्यालय में आसानी से हो सके और कार्यालय में किसी प्रकार की रूकावट न हो। अगर कार्य में रूकावट होती है, तो 500/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनेल्टी अधिरोपित की जायेगी। इसके अतिरिक्त फोटोकॉपी के कार्य में बाजार से ज्यादा मूल्य आने पर वह राशि लंबित बिलों/संस्था की परफॉरमेंस सुरक्षा निधि से काटी जायेगी।

12. आदेशित कार्य को पूरा करने के लिए जिस फोटोकॉपी की स्थापना की जानी है, वह एक वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और ठेकेदार को उक्त मशीन के मॉडल/वर्ष के सत्यापन हेतु क्रय की गई मशीन का बिल प्रस्तुत करना होगा।

13. संस्था के द्वारा लगाई जाने वाली फोटोकॉपी मशीन की बनावट और मॉडल की जानकारी, सर्विस टैक्स का प्रमाण, टिन नंबर और केन्द्र शासित/अन्य सरकारी कार्यालयों/अंडरटेकिंग या अन्य प्रतिष्ठित संस्था, जिसको कि ठेकेदार के द्वारा फोटोकॉपी की आउटसोर्सिंग, सेवा प्रदान की गयी हो, के प्रमाण के दस्तावेज तथा संतुष्टि पूर्ण कार्य की रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित निविदा के साथ संलग्न किए जाएगें।

14. यह ठेकेदार का दायित्व होगा कि न्यायालय के दस्तावेज किसी अनाधिकृत व्यक्ति तक न पहुंच पाये, ओर इस शर्त का उल्लघंन करने पर ठेकेदार को कठोर परिणाम भुगतना होगा। साथ ही अनुबंध बिना किसी सूचना के ई.एम.डी./ निष्पादन प्रतिभूति और लंबित बिलों को छोडकर समाप्त किया जा सकेगा।

15. अनुबंध के निष्पादन के दौरान ठेकेदार अपने द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री की उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखेगा। ठेकेदार के द्वारा कोई भी भ्रष्ट या कपटपूर्ण कार्य करने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और निष्पादन प्रतिभूति को जप्त किया जा सकेगा। साथ ही ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाकर उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

16. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना उपपट्टे को अमान्य किया जाएगा।

17. अनुबंध के निष्पादन के दौरान यदि किसी की मृत्यू या दुर्घटना अथवा भौतिक संपत्ति की हानि होती है तो दी गई छूट के अतिरिक्त समस्त जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

18. जिला न्यायालय, ठेकेदार को सिर्फ विद्युत एवं खाली जगह की सुविधा बिना किसी शुल्क के प्रदाय करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही करवाई जायेगी।

19. यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्त का उल्लघंन करता है तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ठेकेदार का अनुबंध नोटिस देकर समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

20. ठेकेदार या स्टॉफ के किसी सदस्य के द्वारा जानबूझकर या अन्यथा कार्य की गुणवत्ता में कोई गंभीर त्रुटि की जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उस पर पेनल्टी अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

21. यदि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता से संतुष्ट नही है या ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी के व्यवहार से संतुष्ट नही है तो वह 24घण्टे के अंदर उसमें सुधार करने का नोटिस दे सकते है। साथ ही प्रधान जिला एवं सत्र

न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह उस पर पेनेल्टी अधिरोपित करने के साथ उचित कदम उठा सकते है।

22. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश केवल ठेकेदार के द्वारा दी गई फोटोकॉपी का ही मूल्य अदा करेगें। यदि अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन होता है या दिया गया कार्य पूर्ण नही होता है तो अनुबंध में वर्णित अन्य उपचार को सुरक्षित रखते हुए 500/— रूपये प्रतिदिन के हिसाब से लंबित बिलों से अनुबंध राशि की अधिकतम 10 प्रतिशत राशि काटी जा सकेगी।

23. ठेकेदार के द्वारा उपयोग किया गया पृष्ठ या प्रिंटिग संतोषजनक न होने पर उसे उसके कार्य का मूल्य देने से इंकार भी किया जा सकेगा।

24. अनुबंध का निष्पादन और कार्य स्थल पर कार्य की सुरक्षा ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

25. अनुबंध के दौरान केन्द्र सरकार और स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा निर्मित तथा भविष्य में अधिसूचना के द्वारा श्रम अधिनियम के अंतर्गत पारित किये जाने वाले समस्त नियम, अधिनियमों का अनुबंधकर्ता पूर्णतः पालन करेगा।

26. यदि किसी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ठेकेदार के किसी कार्य से, किसी नियम या अधिसूचना का उल्लंघन होने पर उसके विरूद्व कोई कार्यवाही की जाती है तो ठेकेदार नियोक्ता (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को क्षतिपूर्ति देगा।

27. अनुबंध के दौरान ठेकेदार के किसी कार्य या लापरवाही से अगर जिला न्यायालय की किसी संपति की क्षति होती है या चोरी होती है तो ठेकेदार को उसे अपने स्वयं के व्यय से पूर्ति करना होगा।

28. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि निविदा के पूर्ण होने से पहले निविदा को निरस्त कर सकेंगे।

29. यदि दोनो पक्षो के मध्य अनुबंध को लेकर कोई विवाद होता है तो उसे बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा परन्तु बातचीत से कोई हल न निकल पाने की स्थिति में उसे एक मात्र मध्यस्थ (सोल आरबीट्रेटर) जो कि प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आगर मालवा होगें, के समक्ष रखा जाएगा।

30 प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का पद रिक्त होने की दशा में वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मध्यस्थ की भूमिका निभायेंगे। मध्यस्थ के द्वारा दिया गया अधिनिर्णय/निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षो पर लागू होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही पंचाट और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत की जाएगी।

23.1.25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
आगर मालवा

# OFFICE OF THE PRICIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, AGAR MALWA (M.P.)

## LIMITED TENDER PROFORMA FOR OUTSOURCE PHOTOCOPY WORK

1- Rate Quatation of the Tender (INCLUSIVE OF ALL TAXES)

| S.NO. | Particulars | Rate per copy with Paper (A-4 size J.K. orient/ bilt matrix Boand paer, 75 gsm | Rate of copy with (legal size of J.K. orient/ bilt matrix Boand paper. 75 gsm Paper |
|---|---|---|---|
| 1 | Single Side Photcopy on one sheet | | |
| 2 | Photocopy on back to back side on one sheet | | |

2- Machine Model No. and Make--------------------

3- Earnest money details

---------------------date------------for Rs 10000/-

Name of Bank-------------------

4- PAN NO.--------------

5- TIN No---------------

The terms of conditions of the tender are acceptable to me/us.

Signature..............................

Name and Address with seal & Date.......................

..........................................

..........................................

Phone (O) ..................................

(M) ..................................

(R) ..................................